न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचोर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी–श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, RAS

प्रार्थना पत्रः–89/2014 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थीयानः–

1. मफी देवी पुत्री मूलाराम धर्मपत्नी गोवदाराम
   कौम कलबी
2. तलसी पुत्री मूलाराम धर्मपत्नी नरेन्द्र कुमार
   कौम कलबी निवासीगण पहाडपुरा हाल–सांचोर
   तहसील सांचोर, जिला जालोर

अप्रार्थीगणः–

1. राणाराम पुत्र मूलाराम
2. वदू बेवा मूला
3. संतोक देवी पत्नी गलाराम
4. उमाराम पुत्र अजबाराम
   फौत के कायम मुकाम
   (अ) ईशराराम पुत्र अमाराम
   (ब) अजाराम पुत्र उमाराम
   (स) अखाराम पुत्र उमाराम
   (द) वागाराम पुत्र उमाराम
   (इ) तीजो देवी बेवा उमाराम
   जातियान कलबी निवासीगण पहाडपुरा तहसील सांचोर
5. उप–पंजीयक सांचोर
6. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचोर
7. छोगा पुत्र वीरमा
8. टीकमा पुत्र वीरमा (फौत) के कायम मुकाम
   (अ) श्रीमती पारूदेवी बेवा टीकमाराम
   (ब) बाबूलाल पुत्र टीकमाराम
   (स) दलपत पुत्र टीकमाराम
   (द)रमेश पुत्र टीकमाराम
   (इ) चंपालाल पुत्र टीकमाराम
   कौम नाई निवासी पहाडपुरा तहसील सांचोर
9. ईसराराम पुत्र देवजीराम निवासी गंगासर (अचलपुर) तहसील सांचोर
10. महेन्द्र पुत्र दौलाराम जाति चौधरी निवासी सांचोर
11. डूंगराराम पुत्र भलारामजी जाति कलबी निवासी गंगासर (अचलपुर) सांचोर
12. तेजाराम पुत्र वालारामजी जाति माली निवासी सिलोसन
13. गणेशाराम पुत्र प्रागाराम जी जाति माली निवासी सिलोसन
14. अर्जुन पुत्र भगारामजी जाति पुरोहित निवासी भडवल तहसील सांचोर
15. वोहता पुत्र जेता जाति कलबी निवासी पहाडपुरा तहसील सांचोर

वकील प्रार्थीयान– श्री जालाराम पूनिया

वकील अप्रार्थीगण– श्री प्रकाश चन्द्र पुरोहित
श्री पुरूषोत्तम दवे

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 26.02.2020

प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थियान द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। आदेश दिनांक 18.05.2016 के अनुसार प्रार्थना पत्र पर आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किये जाने पर संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2016 को पेश किया जिसे 27.02.2017 को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि सरहद मौजा पहाड़पुरा पटवार क्षैत्र गोलासन में हम प्रार्थियागण के बापदादा की पुश्तैनी भूमि खसरा नं. 124 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 125 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नं. 126 रकबा 3.87 हैक्टर, खसरा नं. 238 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नं. 349 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नं. 350 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 352 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 353/748 रकबा 4.03 हैक्टर, खसरा नं. 684 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 701 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 702 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 703 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नं. 704 रकबा 2.97 हैक्टर, खसरा नं. 563 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 564 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नं. 565 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 566 रकबा 2.61 हैक्टर, जुमले रकबा 20.12 हैक्टर का आया हुआ हैं। जिसमें हम प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा पुश्तैनी, शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त का आया हुआ है। उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी का लगान पुश्तैनी रूप से हम प्रार्थीयागण अदा करते आ रहे हैं तथा गिरदावरी भी हमारे नाम तज्वीज होती आ रही है।

हम प्रार्थीयागण के दादा का नाम अजबा था, जिनके तीन पुत्र गला, मूला, व उमा हैं। जिसमें मूला फौत हो चुके हैं तथा गला भी फौत हो चुके है। मूला के हम प्रार्थीयागण दो पुत्रियां व एक पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 राणा हैं। इस प्रकार की वंशावली हम प्रार्थीयागण की हैं। सुविधा के लिहाज से समझने के लिए निम्न वंशावली पेश है–

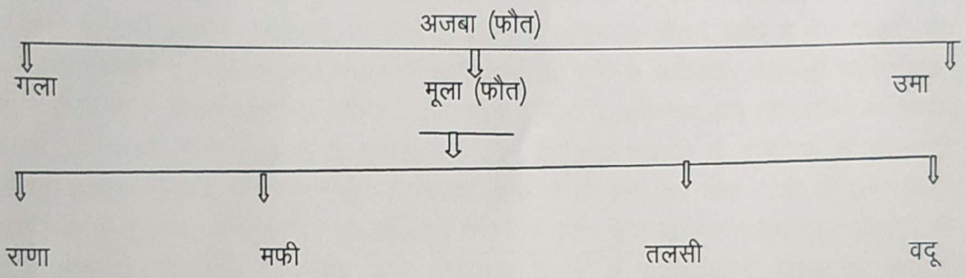

वादपत्र में हम प्रार्थीयागण का समान हित होने से एक–दूसरे की पैरोकारी मंजूर हैं। हम प्रार्थीयागण संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य हैं।

हम प्रार्थीयागण के पिता मूला वाद प्रस्तुत से सात–आठ वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे। जिनके निर्वसीयती फौत होने पर उनकी संपत्ति में मूला के हम चार पुत्र–पुत्री व पत्नी का बराबर हक –हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करना था लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्व ऐजेंसी से भारी सांठ–गांठ कर हमें अपने पुश्तैनी हक से वंचित करने के लिए स्व0 मूला के फौत की नामांतरण दर्ज करते वक्त हम प्रार्थीयागण का नाम दर्ज नहीं किया तथा अप्रार्थी राणा अकेले के नाम अवैध व विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज कर दिया, जिससे राणा अकेले को कोई हकहकूक व स्वत्व हासिल नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी इनका अकेले का नाम दर्ज किया हैं जो ऐसा इन्द्राज हरसूरत में अपास्तनीय योग्य हैं।

स्व0 मूला के फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में विहित प्रथम अनुसूची के हम प्रार्थीयागण वारिस व हकदार थे। उसके बावजूद भी बिना किसी प्रकार की जांच किये तथा हम प्रार्थीयागण को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर दिये बिना अप्रार्थी संख्या एक राणा ने राजस्व ऐजेंसी से सांठ–गांठ कर हमारा नाम हमारी पुश्तैनी भूमि में दर्ज नहीं कर हमें अपने हकों से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। जिससे ऐसा करने का कोई उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। इस प्रकार वादग्रस्त संपूर्ण भूमि में हम प्रार्थीयागण का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा यानि कुल 3.35 हैक्टर भूमि पर हम प्रार्थीयागण का शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त हैं। हमारे पिता मूला के फौत होने पर पुत्र–पुत्री व पत्नी का बराबर हक पाने के कानूनी अधिकारी होने से हम प्रार्थीयागण उपरोक्त हिस्से की भूमि के खातेदारी हक पाने के अधिकारी होने से उक्त अनवान को ठोस आधारों पर पेश किया जा चुका हैं, जिसमें हम प्रार्थीयागण की जीत कानूनी सुनिश्चित हैं।

(हस्ताक्षर) 26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

अभी वाद प्रस्तुत से एक माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 राणा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी जो जेल में रहा हैं तथा पीछे उनकी मां वदू घर पर हैं जो अत्यन्त वृद्ध अवस्था की हैं। जिसके अभी उनका बेटा जेल में होने से सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है। विवके डगमगा गया है। जिसका नाजायज फायदा उक्त भूमि को भू–माफिया उणे–पूणे भाव में जबरन खरीदना चाहते हैं। जिसके बहकावे में आकर वदू भी उक्त वादग्रस्त भूमि को अवैध व विधि विरूद्ध तरीके संपूर्ण भूमि को बेचान करने के लिए तुली हुई है "कि वाद व टी.आई. के लंबित के दौरान स्थगन आदेश होते हुये भी व संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के विपरीत कानूनी बाध्यता होते हुये भी बेचान अप्रार्थी संख्या 9 से 14 को किया हैं जो ऐसा बेचान करने का अप्रार्थी राणाराम व वदुदेवी को हम प्रार्थीयागण के हिस्से को बेचान करने का कानूनी अधिकार नहीं था वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया हैं तथा मौके पर कब्जे का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ हैं कब्जा हम प्रार्थीयागण का स्थित है। जिससे खरीददार को कोई अच्छा स्वत्व हासिल नहीं होते हैं। जिससे बेचान हर सुरत में अवैध व आरम्भतः शून्य प्रभावी है तथा प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं की पुश्तैनी भूमि में हक हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी हैं जबकि हम प्रार्थीयागण की वादग्रस्त संपूर्ण भूमि को बेचान करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं।"

वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत भू–विभाजन होना शेष हैं। जिसके प्रत्येक कण–कण में हम प्रार्थीयागण का पुश्तैनी हकहकूक व कब्जाकाश्त हैं। ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या एक राणा व दो वदू को हमारी पुश्तैनी भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी येन–केन–प्रकारेण वदू व राणा ने उक्त भूमि को अवैध विधि विरूद्ध तरीके से बेचान कर भू–माफिया के गिरोह से जबरन अपनी मनमर्जी अनुसार कब्जा करवाना चाहते है। जिससे हम महिलाओं को काश्त करने में भारी दुविधा पैदा होगी। ऐसी सूरत में हम प्रार्थीयागण के कब्जेकाश्त में कोई भी व्यक्ति दखलन्दाजी न करें एवं न ही कोई कब्जा करें "कि खरीददार डूंगराराम , महेन्द्र, तेजाराम, गणेशाराम, अर्जुन, ईसरा अभी दिनांक 21.01.2016 को वादग्रस्त आराजी पर आये तथा उक्त आराजी में जबरन बिना विभाजन कराये कब्जा करने की धमकी दी तथा ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त भूमि से कब्जा खाली करो न ही तो हम जबरन कब्जा करेंगे। इस प्रकार संयुक्त भूमि से अजनबी व्यक्ति हैं जो वाद के लंबित व स्थगन के दौरान अवैध व गैर कानूनी रूप से बेचाननामा करवाया हैं जिससे इस हालत में प्रार्थीयागण की भूमि में खरीददार अजनबी व्यक्ति उक्त आराजी में प्रवेश करने कब्जा करने का अधिकार नहीं रखते हैं जिससे खरीददार अजनबी व्यक्ति के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण के शामलाति कब्जाकाश्त उपयोग–उपभोग में किसी तरह का दखल, बाधा न तो स्वयं करे तथा न ही तो अन्य किसी से करावें तथा न ही कोई संपरिवर्तन की कार्यवाही करावें न करे। तथा खरीददार वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में आगे से आगे भूमि का बेचान, रहन, हस्तांतरण न करें व करावें।" इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

हम प्रार्थीयागण अनपढ महिलायें हैं जो घरकार्य करने वाली महिलायें हैं। बाहर आना–जाना नहीं रहता हैं जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या एक राणा ने अपने नाम भूमि दर्ज करा दी जिसकी हमें भनक तक नहीं लगने दी। अभी राजस्व अभिलेख की नकलें लेने से उपरोक्त तमाम बात की तसल्ली होने पर दावा हाजा पेश किया जा चुका है जिसके निस्तारण में समय लगने से वाद की विषय वस्तु की सुरक्षा एवं न्याय निस्तारण की सुविधा हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन वाद के लंबित व स्थगन आदेश के दौरान अवैध व गैर कानूनी रूप से दिनांक 30.06.2010, 26.07.2010, 24.02.2011 व 18.11.2015 को बेचान अपने हिस्से से ज्यादा करवाया हैं जो ऐसा बेचान अवैध व शून्य प्रभावी होने से खरीददार को कोई हक हकूक हासिल नहीं होने से ऐसे बेचान आरम्भत शून्य है।

वादग्रस्त भूमि में मूला के निर्वसीयती फौत होने पर हम प्रार्थीयागण का नाम राणा व वदू के साथ बराबर दर्ज करना था जो नहीं किया गया जबकि हम हिन्दू विधि में विहित प्रथम अनुसूची के मृतक मूला के वारिस हैं, जो हम पाने के कानूनी अधिकारी है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला हम प्रार्थीयागण के पक्ष में हैं मौके पर हम प्रार्थीयागण का शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी हम प्रार्थीयागण के पक्ष में है। यदि हम प्रार्थीयागण की पुश्तैनी भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 का अवैध एवं विधि विरूद्ध दर्ज नाम का फायदा उठाकर संपूर्ण भूमि को बेचान करने में सफल हो जाते हैं तो हम प्रार्थीयागण हमेशा के लिए अपने हक से वंचित रह जायेंगे जिससे हमें अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं हैं। हमें तरह–तरह की मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा। वाद प्रस्तुतीकरण का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कानूनी स्तम्भ हम प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र पेश है।

अन्य वजुआत वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि सरहद मौजा –पहाडपुरा, पटवार क्षेत्र–गोलासन में हम प्रार्थीयागण के बापदादा की पुश्तैनी भूमि खसरा नं. 124 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 125 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नं. 126 रकबा 3.87 हैक्टर, खसरा नं. 238 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नं. 349 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नं. 350 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 352 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 353/748 रकबा 4.03 हैक्टर, खसरा नं. 684 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 701 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 702 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 703 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नं. 704 रकबा 2.97 हैक्टर, खसरा नं. 563 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 564 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नं. 565 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 566 रकबा 2.61 हैक्टर, जुमले रकबा 20.12 हैक्टर का अप्रार्थीगण किसी प्रकार का बेचान, हस्तान्तरण, रहन, तर्क वगैरा नहीं करे तथा न ही उक्त भूमि की कोई संपरिवर्तन की कोई कार्यवाही करें न ही भूमि में कोई जबरन प्रवेश कर कब्जा करें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य कच्चा पक्का नहीं करने एव न करावें तथा अप्रार्थी संख्या 5 किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त आराजी सम्बन्धित कोई नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करे एव न करावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखे। इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक बहक प्रार्थीयागण विरूद्ध अप्रार्थीण जारी फरमावें।

प्रार्थी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मिलस बंदोबस्त प्रथम व द्वितीय की छायाप्रति, मिलान क्षैत्रफल की छायाप्रति, नकल जमाबंदी 2066–2069 व नकल जमाबंदी सवत् 2058 से 2061 की छायाप्रति पेश की । तद्परान्त दिनांक 15.03.2018 को प्रकरण संख्या – 09/2016 प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 मफीदेवी बनाम सुनिल कुमार की आदेशिका व प्रार्थना पत्र की छायाप्रति पेश की । दिनांक 21.03.2018 को नकल आधार कार्ड प्रार्थिया मफी व तुलसी की छायाप्रति, दावा संख्या 7 78/2010 उमा बनाम छोगा के दावे व आदेशिका की छायाप्रति पेश की। नकल जमाबंदी मौजा पहाडपुरा के नवीन खाता संख्या 51व 195 एवं नक्शा ट्रेस की छायाप्रति, नकल बेचान दस्तावेज दिनांक 26.07.2010, 29.02.2011 , 18.11.2015, 30.06.2010 की छायाप्रति पेश की। दिनांक 20.02.2020 को प्रमाण पत्र सरपंच गोलासन छाया प्रति पेश की।

तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गयी । अप्रार्थी संख्या–3,4 के कायम मुकाम अ,ब,स,द, इ, 5,6,7 एवं 8 के कायम मुकाम अ,ब,स,द,इ एवं अप्रार्थीगण सं. 15 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या– 1,2,9 लगायत 14 ने जरिये अभिभावक उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या– 1,2 द्वारा प्रस्तुत जबाब का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण की पुस्तेनी भूमि ग्राम पहाड़पुरा में नही है न ही कभी रही हैं।

प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या–1 में दर्शायी गई भूमि 20.12 हैक्टर में प्रार्थीयागण का काई हक हकुक नही हैं न ही प्रार्थीयागण ने कभी इस भूमि का लगान अदा किया न ही उसके नाम से कभी गिरदावरी दर्ज हुई हैं। प्राथीयागण का इस भूमि पर कभी काई हक व कब्जा होता तो इसके नाम का लगान भरा जाता व इसके नाम से गिरदावरी दर्ज होती। परन्तु अप्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसी कोई गिरदावरी वगैराह पेश नही की हैं। इससे साफ है कि प्रार्थीयागण का इस पर कोई हक हकुक नही हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या– 2 गलत होने से स्वीकार हैं। जबाब इस कदर है – प्रार्थीयागण मूला की कोई उत्ताराधिकारिणी नही हैं। मूलाजी को फोते हुए दस वर्ष से ज्यादा समय हुआ हैं। यदि प्रार्थीयागण उसकी कोई उत्तराधिकार के रूप में दर्ज होता परन्तु ऐसा नही हुआ हैं। इससे साफ है कि प्रार्थीयागण मूलाजी की उत्तराधिकारीणि नही हैं। हम अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हुए 10 वर्ष से ज्यादा समय हुआ हैं। फिर भी प्रार्थीगण कोई मूलाजी की उत्तराधिकारिणी होती तो हमारे नाम हुए नामान्तकरण की अपील करती अथवा उजरदारी करती व अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का प्रयास करती परन्तु ऐसा कुछ भी इस लंबे अंतराल में नही किया इससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीयागण कथित तौर पर मूलाजी का हम प्राप्त करने के लिए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो गलत हैं। मूलाजी के हम जायज वारिस अप्रार्थी सं. 1 व 2 हैं। इसके अलावा कोई उत्तराधिकारी नही हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 3 प्रार्थीया गलत हेाने से स्वीकार हैं। जबाब इस कदर है कि मूलाजी को फौत हुए करीबन 10 वर्ष से ज्यादा समय हुआ हैं। इस लंबे अंतराल में यदि प्रार्थीयागण मूलाजी का उत्तराधिकारिणी होती तो कभी तो न्यायालय में आकर कार्यवाही करती व अपना नाम दर्ज करवाती परन्तु ऐसा कुछ नही किया हैं।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

न ही प्रार्थीयागण का वादग्रस्त आराजी में 1 इंच भूमि पर कोई कब्जा किया हैं। हल्का पटवारी ने विधिवत जॉच कर जायज उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये हैंजो नामान्तकरण प्रभावी हैं जिसकी कोई आज दिन तक कोई अपील नही हुई हैं। ऐसी सूरत में दावा व प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 4 प्रार्थीयागण गलत होने से अस्वीकार हैं। जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण अपने को मूला की उत्तराधिकारी बता रही हैं जो एक मौखिक कथन है ऐसा कथन किसी के बारे में कोई आम व्यक्ति कर सकता हैं। जबकि प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में व मूला की उत्तराधिकारिणी होने से के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किया हैं। जिसके आधार पर प्रार्थीयागण को मूला की उत्तराधिकारिणी का कहा जा सके। प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थीना पत्र के समर्थन में मुख्य दस्तावेज मूलनिवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि ऐसे दस्तावेज है जो हर व्यक्ति के पास होना संभव है व जिसके आधार पर हर व्यक्ति की पहचान होती है जो एक प्रथम स्तर के आवश्यक दस्तावेज है जो भी प्रार्थीया ने पेश नही किये हैं जिसके आधार पर प्रार्थीयागण मूला की उत्तराधिकारिणी साबित हो सके इसलिये प्रार्थीयागण को वादग्रस्त आराजी में कतई हकदार नही कहा जा सकता व मूला के फौत होने के बाद दस साल तक हमारे नाम शांतिपूर्ण खातेदारी चली फिर भी प्रार्थीयागण यदि मूलाजी की उत्तराधिकारिणी होती तो कार्यवाही आवश्यक करते परन्तु नही की हैं। अब इतने लंबे अंतराल के बाद बिना सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार तय करवाये हक प्राप्त करने का वाद पेश करने का प्रार्थीयागण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीयागण उत्तराधिकारी तय करवाये बिना किसी हक हासिल नही कर सकती। यह अधिकार सिविल न्यायालय को है जहां पहले प्रार्थीयागण उत्तराधिकार तय करवाये व उसके आधार पर यदि उसका उत्तराधिकार में हक बनता है तो हक की घोषणा के लिए वाद पेश करें। प्रार्थीयागण ने बिना उत्तराधिकारी तय करवाये सीधा वाद पेश किया हैं जो काबिल खारिज है, अतः प्रार्थना पत्र भी नही चल सकता।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 5 प्रार्थीयागण गलत होने से अस्वीकार हैं। जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण व अन्यने मिलकर मेरी भूमि हड़प करने के लिए षड्यंत्र रचा व मुझे झूठा हत्या के मामले में मेरी पत्नि की हत्या का आरोप लगाकर मुझे जेल भेजकर भूमि हड़प करना चाहा जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा मुझे बाद सुनवाई निर्दोष साबित किया व न्यायालय द्वारा मुझे जमानत पर रिहा किया। प्रार्थीयागण द्वारा भूमि बेचान करने का जो आरोप लगाया है व गलत हैं। मुझे मेरी जायद जरूरत के लिए व घर परिवार चलाने के लिए भूमि आवश्यक है जिसके संबंध में बेचने का कथन गलत किया हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 6 प्रार्थीयागण गलत होने से अस्वीकार हैं। जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी की सहखातेदारी ही नही हैं इसलिये भू विभाजन का प्रशन ही पैदा नही होता न ही प्रार्थीयागण का वादग्रस्त आराजी से कोई सारोकार हैं। प्रार्थीयागण ने निराधार व बेबुनियाद विधि विपरित वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिसे वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारी को भी पक्षकार बनाये बिना घोषणा व बंटवाड़ा का वाद पेश किया है जो कतई पोषणिय नही हैं। क्योंकि खेत खसरा नं. 563,564,565,566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टर भूमि में हिस्से में वोहता वल्द जेता कौम–कलबी खातेदार है जबकि उन्हें प्रार्थना पत्र व वाद में पक्षकार नही बनाया गया है न ही उन्हें सुना गया हैं इस कदर खाता सं. 146 के खसरा नं. 704 में से 0.425 है. भूमि का खरीददार ईशराराम पुत्र देवजीराम कौम– कलबी सा. गंगासरा व महेन्द्र पुत्र दोलाराम कोम– चौधरी निवासी– सांचोर क्रेता है, जिन्होनें दिनांक 30.06.2010 को इस भूमि का क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था व अलग से काबिज हैं जबकि वाद दिनांक 24.02.2011 को लिखा जाकर पेश किया हैं इससे पूर्व महेन्द्र व ईशराराम की इस भूमि के सह खातेदार थे जिन्हें वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया, उसके अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र नही चल सकते।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 8 गलत होने से अस्वीकार हैं जबाब इस कदर हैं कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज राजस्व एजेन्सी हल्का पटवारी द्वारा किया हैं जो ग्राम पंचायत के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला जाकर स्वीकृत किया गया हैं। ग्राम पंचायत के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ हैं। प्रार्थीयागण ने आज दिन तक ग्राम पंचायत द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को चुनौति देकर सक्षम न्यायालय से कोई उत्तराधिकार तय नही करवाया हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रभावी हैं व इसके आधार पर यह नामान्तकरण स्वीकृत हुआ हैं

6.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में बिना उत्तराधिकार तय करवाये प्रार्थीयागण कोई हक हासिल नही कर सकती व दावा अपूर्ण व विधि विपरित होने से नही चल सकता । ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 9 गलत होने से अस्वीकार है जबाब इस कदर हैं कि प्रार्थीयागण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे कि वो मूलाजी की पुत्रियां हो तथा न ही प्रार्थीयागण का कभी कोई भूमि पर कब्जा या रहवास ही रहा हैं न ही भूमि से प्रार्थीयागण का कोई सारोकार ही हैं। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीयागण के पक्ष में नही हैं जबकि वादग्रस्त भूमि हमारी खातेदारीसूदा, कब्जासुदा हैं जिस पर हमारा कब्जा व रहवास हैं ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संन्तुलन हमारे पक्ष में हैं । यदि प्रार्थीयागण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण को न होकर हम अप्रार्थीयागण को होगी।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थीयागण ने सारहीन, बलहीन व मनगढत् तथ्यों को पेश किया हैं जिसे खारिज करने योग्य हैं। जबाब प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 खाता संख्या – 146 व 39 व नवीन ट्रेस नक्शा की छाया प्रति पेश हैं।

जबाब अप्रार्थी सं. 4 उमाराम ने जरिये अभिभाषक इस प्रकार पेश किया हैं कि वाके सरहद पहाड़पुरा में खाता सं. 124,125,126,238,349,350,352,353/748, 684,701, 702, 703, 704, 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24+14.88 = 20.12 हैक्टर भूमि आई हुई हैं। जो प्रार्थीया की पुस्तैनी भूमि नही हैं । प्रार्थीया सं. 1 एवं 2 गेलेण्ड संतान हैं जिसका उक्त भूमि किसी कदर कोई हक हकुक न तो था एवं न ही हैं। प्रार्थीयागण गेलेण्ड संतान होने से उनका उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा या 3.55 हैक्टर भूमि होने को कोई प्रशन ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थीयागण के नाम से किसी भी साल की गिरदावरी नही हैं न ही प्रार्थीयागण ने कभी बिघोड़ी अदा की हैं। प्रार्थीयागण की शादी कई अरसे पूर्व हो चुकी हैं। प्रार्थीयागण का कास्त एवं कब्जा उनके ससुराल में उनके पति की भूमि के साथ हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 2 गलत होने से नामंजूर हैं। जबाब इस कदर है कि अजबा के 3 पुत्रगण गला,मूला, उमा हैं जिनके हम अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 हकदार हैं तथा हमारे पूर्वजों के समय हम पक्षकारान के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो गया हैं। जिसमें से अप्रार्थीगण सं. 4 उमाराम के बंट में खाता सं. 125 में से रकबा 0.0350 हैक्टर खाता सं. 126 में से 1.935 हैक्टर खाता सं. 704 में से 1.485 हैक्टर, खाता सं. 703 में से 1.55 हैक्टर, खाता सं. 353/748 में से 0.850 हैक्टर, खाता सं. 238 पुरा का पुरा रकबा 0.40 हैक्टर जुमले रकबा 5.86 हैक्टर अप्रार्थीया सं. 3 संतोक एवं इसरा के बंट में खाता सं. 124 रकबा 0.01 हैक्टर खाता सं. 125 में से रकबा 0.350 हैक्टर, खाता स. 126 में से 1.933 हैक्टर खाता सं. 684 पुरा का पुरा 0.30 हैक्टर, खाता सं. 704 में से 1.485 हैक्टर, खाता सं. 703 में से 1.55 हैक्टर , खाता सं. 702 रकबा 0.01 हैक्टर, खाता सं. 701 रकबा 0.01 हैक्टर जुमले रकबा 4.94 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 राणाराम एवं वदुदेवी के बंट में खाता सं. 353/ 748 में से 3.18 हैक्टर, खाता सं. 349 पुरा का पुरा रकबा 0.85 हैक्टर, खाता सं. 350 रकबा 0.04 हैक्टर, खाता सं. 352 पुरा का पुरा रकबा 0.01 हैक्टर, खाता सं. 363 पुरा का पुरा रकबा 0.01 हैक्टर, खाता सं. 564 में से रकबा 1.305 हैक्टर जुमले रकबा 5.395 हैक्टर अप्रार्थी सं.   वोहता वल्द खेता के बंट में खेत खाता सं. 564 रकबा 1.305 हैक्टर में आया हुआ हैं। अप्रार्थी छोगा पुत्र वीरमा, टीकमा पुत्र वीरमा ने अन्य काश्ताकारों के पास से खरीदी हुई हैं। जो खाता सं. 565 पुरा का पुरा रकबा 0.01 हैक्टर , 566 पुरा का पुरा रकबा 2.61 हैक्टर जुमल रकबा 2.62 छोगा व टीकमा नाई की हैं। इस प्रकार जुमले रकबा उमा की भूमि 5.86 हैक्टर, संतोक व ईशरा की भूमि 4.94 हैक्टर, राणा व वदू की भूमि 5.395 हैक्टर, वोहता की भूमि 1.305 हैक्टर, टीकमा व छोगा की भूमि 2.62 हैक्टर मिलाकर पुरे खाते की भूमि 20.12 हैक्टर पूर्ण हो जाती हैं। भूमि संयुक्त काश्तकारों में से छोगा व टीकमा नाई को बैचान होने से रकबा कम ज्यादा यादि रकबा में अंतर आया हैं। यह बंटवाड़ा कदिमी का हैं, तथा इस अनुसार पक्षकारान काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र में वोहता वल्द जेता कलबी को आवश्यक पक्षकार होने से तथा वोहता का 1.305 हैक्टर भूमि का काश्त कब्जा होने से प्रार्थीयागण ने वोहता को आवश्यक पक्षकार बनाया नही होने से दावा व प्रार्थना पत्र चल नही सकता हैं तथा काबिल खारिज हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 3 का जबाब इस कदर है कि यह बात सही है कि मूला आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व फौता हो गया हैं किन्तु प्रार्थीयागण गेलेण्ड संतान होने से नाम से ग्राम पंचायत में नामान्तकरण स्वीकृत नही किया हैं।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

उस वक्त प्रार्थीयागण ने कोई उजर या एतराज भी पेश नही किया होने से अब प्रार्थीयागण का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। प्रार्थीयागण के आधारहीन व झूठा वाद पेश किया हैं। मूला के दो ही वैध उत्तराधिकारी होने से राणाराम एवं वदू के नाम से नामान्तरकरण खोला गया जो सही हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 4 गलत होने से नामंजूर हैं जबाब इस कदर है कि अप्रार्थी उमा ने अन्य संयुक्त खातेदारान के विरूद्ध दावा बाबत् खातेदारी बंटवाड़ा एवं जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान् की अदालत में दिनांक 03.08.2010 को पेश किया हुआ हैं जो वाद श्रीमान् की अदालत में जैर तजवीज हैं। इस दौरान प्रार्थीगण ने आधारहीन व झूठा वाद सम्मतान पक्षकारान को लेकर समान विषयवस्तु को लेकर दिनांक 24.02.2011 पेश किया जो गलत हैं तथा कानूनी प्रावधान अनुसार प्रार्थीयागण द्वारा पेश किया गया वादसी पी.सी. की धारा 10 के बाध्य होने से चलने योग्य नही हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 5 गलत हेाने से नामंजूर हैं जबाब इस कदर है कि मुझ वदू के पुत्र राणा को झूठे मुकदमें में फंसाया हुआ है तथा राणा जेल में होने के कारण मुझ वदू को दबाव देकर मेरी भूमि हड़प करने की नियत से प्रार्थीयागण ने आधारहीन व झूठावाद व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।मैं अप्रार्थीया वदू स्वस्थ हूँ। सोचने समझने की क्षमता हैं। अवतरण में सारे तथ्य गलत लिखे हुए होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 6 गलत होने से नामंजूर हैं जबाब इस कदर है कि मेरे पुत्र उमा द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाड़ा जो श्रीमान् की अदालत ने जैर तजवीज हैं अगर प्रार्थीयागण को कोई उजर एतराज है तो उमा द्वारा पेश किये गये वाद में उजर एतराज पेश करने में प्रार्थीयागण समर्थ हैं।प्रार्थीयागण ने पूर्व में पेश किये गये वाद में कोई उजरदारी प्रस्तुत नही की एवं नये सीरे से जो वाद पेश किया हैं वो खारिज योग्य हैं।

प्रार्थना पत्र का अवतरण सं. 7 गलत होने के नामंजूर हैं जबाब इस कदर हैं कि प्रार्थीयागण ने आधारहीन व झुठा वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो चलने योग्य नही हैं। जब प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक व अधिकार ही नही हैंतो प्रार्थीयागण के पक्ष में निर्णय करने का प्रशन ही पैदा नही होता हैं।

वादग्रस्त आराजी पर हम अप्रार्थीगण का कब्जा कास्त हैं तथा अंदर हम प्रार्थीगण का रहवास हैं तथा हम अप्रार्थीगण रेकोडेड खातेदार है ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण को न होकर हम अप्रार्थीयागण को होगी। ऐसी सूरत में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थीयागण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का सारहीन, बलहीन व मनगढत् तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाना न्यायोचित हैं । प्रार्थीयागण के पक्ष में जारी इनरीम टी.आई. भी खारिज फरमावें ।

अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें। जबाब के साथ नकल नक्शा प्रदर्श 'अ' की छाया प्रति की।

अप्रार्थी सं. 9 लगायात 11 की ओर से जबाब इस प्रकार पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. 704 में से हम अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से जरिये रजि. बेचान दस्तावेज के दिनांक 30.06.2010 व 26.07.2010 को अप्रार्थी सं. 01 व 02 से उनका सम्पूर्ण हिस्से की भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था उक्त दस्तावेज आज दिनांक तक प्रभावी हैं, जिसको शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल कोर्ट को हैं। किन्तु प्रार्थीयागण राजस्व न्यायालय के जरिये उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी करवाना चाहती हैं जो कानूनीय पोषणिय नही हैं इस प्रकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही हैं एवं उक्त दावा मय प्रार्थना पत्र विविध के सुस्थापित नियमों के विपरित होने से स्वतः काबिल खारिज हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत करते समय प्रार्थीयागण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जो यह प्रमाणित करता हो कि प्रार्थीयागण मूल पुत्र अजबा की जायन्दा पुत्री हो, यदि प्रार्थीयागण के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य नही हैं, तो यह मामला हिन्दु विधि के तहत उत्तराधिकारी की घोषणा का मामला हैं तथा ऐसे प्रकरण सुनने का अधिकार मात्र जिला एवं सत्र न्यायाधिश को प्राप्त हैं। इस प्रकार का उक्त प्रार्थना पत्र एवं दावा कानूनी रूप से पोषणिय नही हैं।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

मूलाराम की मृत्यु दिनांक 26.04.2002 को ग्राम पहाड़पुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिशदारान का नामान्तकरण कराया गया था जिसकी कोई अपील प्रार्थीयागण द्वारा नही की गयी हैं तथा यह वर्ष 2005 से पूर्व महिलाओं का पैतृक खातेदारी भूमि में कोई हक नही रहा ऐसी सुरत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा मय प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही हैं।

अन्य पदवार जबाब निम्न प्रकार है :–

अवतरण सं. 01 गलत होने से अस्वीकार है व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराम की संतान कतई नही हैं न ही उक्त आराजी में प्रार्थीयागण का नाम दर्ज हैं, प्रार्थीगण का उक्त आराजी ने कभी कब्जा काश्त नही रहा है इसलिये प्रार्थीयागण का उक्त दाव एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या श्रवण योग्य नही होने से काबल खारिज हैं।

अवतरण सं. 02 गलत होने से अस्वीकार हैं , व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराम की संताने नही होने से उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक या कब्जा टाईटल नही हैं वादग्रस्थ आराजी के खसरा नं. 704 में अप्रार्थीयागण 09, 10, 11 का सद्भावी क्रेता होने से संयुक्त कब्जा काश्त हैं। प्रार्थीया वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी नही रही हैं न ही मौके पर कब्जा कास्त हैं उक्त आराजी से प्रार्थीयागण का कोई लेना देना नही है एवं हमारे तथा आराजी के एक अजनबी व्यक्ति है।अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 03 गलत होने से अस्वीकार हैं, व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराम की पुत्री नही थी तथा मूलाराक की मृत्यु 10–15 वर्षो के बाद उक्त दावा प्रस्तुत किया है। जो हम सद्भावी क्रेतागण को खर्चे से जैर–बार करने एवं मानसीक रूप से परेशान व नाजायद रकम हड़पने के लिए उक्त दावा पेश किया हैं, जो विधि की दृष्टि से पोषणिय नही हैं। प्रार्थीयागण भू–माफियों के बहकावें में आकर हम सद्भावी क्रेतागण को बेदखल करना चाहती हैं। प्रार्थीयागण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में न्याय हेतु उपस्थित नही हुई हैं, बल्कि मात्र हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने हेतु तथा नाजायज रूपयों की लालच में यह दावा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीयागण क्लीनहेण्ड नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

अवतरण सं. 4 गलत हेाने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर हैं कि उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक नही हैं तथा कभी उक्त आराजी पर काबिल नही रही। वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. 704 में वक्त खरीद से कब्जा काश्त हमारा हैं। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 05 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर है कि अप्रार्थी राणा को झुठे मुकदमें में प्रार्थीयागण ने ही फंसाया था जो निर्दोष होने से दोषमुक्त हो गया। हम अप्रार्थीगण ने राणा पुत्र मूला व मूला की धर्मपत्नि वदू बेवा मूला से खेत खसरा सं. 704 रकबा 2.97 हैक्टर में से नर्मदा नहर में अवाप्त की गयी भूमि 0.415 हैक्टर के बाद शेष 2.555 हैक्टर में से राणा वदू का संपूर्ण 1/6 हिस्सा अर्थात 0.426 हैक्टर व 0.426 हैक्टर कुल रकबा 0.852 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज के क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था जो आज भी बदस्तुर हैं। प्रार्थीयागण ने मात्र हमारा नामान्तकरण रोकने हेतु न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया था जो गलत हैं तथा हमारे हक में निष्पादित बैचान दस्तावेज आज दिन तक प्रभावी हैं, जिसको शून्य घोषित करने का मात्र सिविल न्यायालय को हैं। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 06 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर हैं कि प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी नही हैं इसलिये भू विभाजन से उनका कोई संबध या सरोकार नही हैं। इसके अलावा सभी रिर्कोडेड खातेदारों को अपने–अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कानूनी अधिकार हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त हमारा होने से प्रार्थीयागण को ऐलानिया धमकि देने का कोई प्रशन ही पैदा नही हैं। जब मौके पर प्रार्थीयागण का मौके पर कोई कब्जा ही नही हैं तो बेदखल करने की धमकि देने का क्या औचित्य हैं। इस प्रकार प्रार्थीयागण द्वारा मनगढनत आरोप लगाकर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत होने से काबिल खारिज हैं।

अवगतरण सं. 07 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण ने उक्त दावा में दिनांक 30.06.2010, 26.07.2010, 24.02.2011, 18.11.2015 को निष्पादित बैचान दस्तावेज को अवैध व शून्य प्रभावी करने का निवेदन किया हैं

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

परन्तु इस प्रकार मात्र दिनांक अंकित करने मात्र से किसी विक्रय पत्र की पहचान नही होती हैं। विक्रय पत्र की प्रमाणिता पर प्रशन खड़ा करने से पूर्व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उसके बही नम्बर, जिल्द नम्बर, बसिलसिला नम्बर एवं सफा नम्बर प्राप्त कर उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से वाद पत्र मे शून्य करार देने के आधार का विवरण देना होता हैं किन्तु प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा नही कर जानबूझ कर मात्र परेशान व हैरान करने की नियत से यह दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो क्लीन हेण्ड नही होने से काबिल खारिज हैं।

अवतरण सं. 08 गलत होने से अस्वीकार है व जबाब इस कदर हैं कि प्रार्थीयागण मूलाराम की पुत्री नही थी तथा अब मूलाराक की मृत्य के 10–15 वर्षो के बाद प्रलोभन वंश हम अप्रार्थी स. 09,10,11 को हमारे विधिक अधिकारों से वंचित करने एवं हमसे नाजायज रकम प्राप्त करने हेतु ब्लैकमैन करने के नियत से यह प्रार्थना पत्र मात्र नामान्तकरण रूकवाने हेतु पेश किया हैं जो न्यायसंगत नही हैं। प्रार्थीयागण उक्त भूमि की कभी खातेदार नही रही हैं, न ही प्रार्थीयागण का कोई कब्जा टाईटल रहा हैं इसलिये प्रार्थीयागण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन नही बनता हैं। प्रार्थीयागण को कोई अपूरणिय क्षति होने से संभावना नही हैं बल्कि हमारा नामान्तकरण नही हुआ तो अपूरणीय क्षति हम अप्रार्थी सं. 09,10,11 को हैं । इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्धान्त हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र बलहिन, सारहीन व आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

अप्रार्थी सं. 12 की ओर से प्रस्तुत जबाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा न. 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703 जुमल रकबा 11.94 हैक्टर में से अप्रार्थी स. 02 का संपूर्ण हिस्स अर्थात 1/6 हिस्सा एवं खसरा स. 563 ,564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टर में से अप्रार्थी सं. 02 का संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/24 हिस्सा का मैं अप्रार्थी सं. 12 सद्भावी क्रेता होने से मेरा संयुक्त कब्जा काश्त हैं। जो मैनें दिनांक 24.02.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज के मौल खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था उक्त दस्तावेज आज दिनांक तक प्रभावी हैं। जिसको शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल कोर्ट को हैं। किन्तु अप्रार्थीयागण राजस्व न्यायालय के जरिये उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी करवाना चाहती हैं जो कानूनीया पोषणिय नही हैं ऐसे प्रकरण को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही हैं एवं उक्त दावा मय प्रार्थना पत्र विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित होने से स्वतः काबिले खारिज हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत करते समय प्रार्थीयागण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जो यह प्रमाणित करता हो कि प्रार्थीयागण मूला पुत्र अजबा की जायन्दा पुत्री हो यदि प्रार्थीयागण के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेज साक्ष्य नही हैं तो यह मामला हिन्दु विधि के तहत उत्तराधिकारी की घोषणा का मामला हैं। तथा ऐसे प्रकरण सुनने का अधिकार मात्र जिला एवं सत्र न्यायाधिश को प्राप्त हैं। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र एवं दावा कानूनी रूप से पोषणिय नही हैं।

मूलाराम की मृत्यु दिनांक 26.04.2002 को ग्राम पहाड़पुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिशदारान का नामान्तकरण कराया गया था जिसकी कोई अपील प्रार्थीयागण द्वारा नही की गयी हैं तथा यह वर्ष 2005 से पूर्व महिलाओं का पैतृक खातेदारी भूमि में कोई हक नही रहा ऐसी सुरत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा मय प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही हैं।

अन्य पदवार जबाब निम्न प्रकार है :–

अवतरण सं. 01 गलत होने से अस्वीकार है व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराम की संतान कतई नही हैं न ही उक्त आराजी में प्रार्थीयागण का नाम दर्ज हैं, प्रार्थीगण का उक्त आराजी ने कभी कब्जा काश्त नही रहा है इसलिये प्रार्थीयागण का उक्त दाव एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या श्रवण योग्य नही होने से काबल खारिज हैं।

अवतरण सं. 02 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराम की संताने नही होने से उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक या कब्जा टाईटल नही हैं

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्थ आराजी के खसरा नं.124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703 जुमल रकबा 11.94 हैक्टर में से अप्रार्थी स. 02 का संपूर्ण हिस्स अर्थात 1/6 हिस्सा एवं खसरा स. 563 ,564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टर में से अप्रार्थी सं. 02 का संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/24 हिस्सा का मैं अप्रार्थी सं. 12 सद्भावी क्रेता होने से मेरा संयुक्त कब्जा काश्त हैं। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की खातेदारी नही रही हैं न ही मौके पर कब्जा काश्त हैं उक्त आराजी से प्रार्थीयागण का कोई लेना देना नही हैं एवं हमारे तथा आराजी के एक अजनबी व्यक्ति हैं। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 03 गलत होने से अस्वीकार हैं, व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराम की पुत्री नही थी तथा मूलाराक की मृत्यु 10–15 वर्षो के बाद उक्त दावा प्रस्तुत किया है। जो हम सद्भावी क्रेतागण को खर्चे से जैर–बार करने एवं मानसीक रूप से परेशान व नाजायद रकम हड़पने के लिए उक्त दावा पेश किया हैं, जो विधि की दृष्टि से पोषणिय नही हैं। प्रार्थीयागण भू–माफियों के बहकावें में आकर हम सद्भावी क्रेतागण को बेदखल करना चाहती हैं। प्रार्थीयागण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में न्याय हेतु उपस्थित नही हुई हैं, बल्कि मात्र हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने हेतु तथा नाजायज रूपयों की लालच में यह दावा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीयागण क्लीनहेण्ड नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

अवतरण सं. 4 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर हैं कि उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक नही हैं तथा कभी उक्त आराजी पर काबिल नही रही। वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से कब्जा काश्त मेरा हैं। अन्य तथ्य गलत हेाने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 05 गलत हेाने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर है कि अप्रार्थी राणा को झुठे मुकदमें में प्रार्थीयागण ने ही फंसाया था जो निर्दोष होने से दोषमुक्त हो गया। मुझ अप्रार्थी सं. 12 ने दिनांक 24.02.2011 को उक्त वर्णित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था आज दिन तक बदस्तुर हैं। प्रार्थीयागण ने मात्र हमारा नामान्तकरण रोकने हेतु न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया था जो गलत हैं तथा मेरे हक में निष्पादित बैचान दस्तावेज आज दिन तक प्रभावी हैं जिसे शून्य घोषित करने का मात्र सिविल न्यायालय को हैं यह तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 06 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर हैं कि प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी नही हैं इसलिये भू विभाजन से उनका कोई संबध या सरोकार नही हैं। इसके अलावा सभी रिर्कोडेड खातेदारों को अपने–अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कानूनी अधिकार हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त हमारा होने से प्रार्थीयागण को ऐलानिया धमकि देने का कोई प्रशन ही पैदा नही हैं। जब मौके पर प्रार्थीयागण का मौके पर कोई कब्जा ही नही हैं तो बेदखल करने की धमकि देने का क्या औचित्य हैं। इस प्रकार प्रार्थीयागण द्वारा मनगढनत आरोप लगाकर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत हेाने से काबिल खारिज हैं।

अवगतरण सं. 07 गलत होने से अस्वीकार हैं व जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण ने उक्त दावा में दिनांक 30.06.2010, 26.07.2010, 24.02.2011, 18.11.2015 को निष्पादित बैचान दस्तावेज को अवैध व शून्य प्रभावी करने का निवेदन किया हैं परन्तु इस प्रकार मात्र दिनांक अंकित करने मात्र से किसी विक्रय पत्र की पहचान नही होती हैं। विक्रय पत्र की प्रमाणिता पर प्रशन खड़ा करने से पूर्व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उसके बही नम्बर, जिल्द नम्बर, बसिलसिला नम्बर एवं सफा नम्बर प्राप्त कर उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से वाद पत्र ने शून्य करार देने के आधार का विवरण देना होता हैं किन्तु प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा नही कर जानबूझ कर मात्र परेशान व हैरान करने की नियत से यह दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो क्लीन हेण्ड नही होने से काबिल खारिज हैं।

अवतरण सं. 08 गलत होने से अस्वीकार है व जबाब इस कदर हैं कि प्रार्थीयागण मूलाराम की पुत्री नही थी तथा अब मूलाराक की मृत्य के 10–15 वर्षो के बाद प्रलोभन वंश हम अप्रार्थी स. 12 को मेरे विधिक अधिकारों से वंचित करने एवं हमसे नाजायज रकम प्राप्त करने हेतु ब्लैकमैन करने के नियत से यह प्रार्थना पत्र मात्र नामान्तकरण रूकवाने हेतु पेश किया हैं जो न्यायसंगत नही हैं। प्रार्थीयागण उक्त भूमि की कभी खातेदार नही रही हैं, न ही प्रार्थीयागण का कोई कब्जा टाईटल रहा हैं इसलिये प्रार्थीयागण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन नही बनता हैं। प्रार्थीयागण को कोई अपूरणिय क्षति होने से संभावना नही हैं बल्कि हमारा नामान्तकरण नही हुआ तो अपूरणीय क्षति हम अप्रार्थी सं. 09,10,11 को हैं । इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्धान्त हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र का मय खर्चा खारिज फरमावें।

अप्रार्थी सं. 13 व 14 द्वारा प्रस्तुत जबाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज दिनांक 18.11.2015 के प्रतिफल की संपूर्ण राशि 15,89,606 अक्षरे पन्द्रह लाख नवयासी हजार छः सौ छः रूपये अदा कर भूमि अप्रार्थी राणाराम से क्रय की थी। उक्त दस्तावेज आज दिन तक प्रभावी हैं । जिसे शून्य घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को हैं। परन्तु प्रार्थीयागण उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र के जरिये उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी करवाना चाहती हैं जो कानूनीय पोषणिय नही हैं ऐसे प्रकरणों को सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त नही हैं। इस प्रकार उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र विधि की धारणा के विपरित होने से स्वतः काबिल खारिज हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते वक्त प्रार्थीयागण ने ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जो यह प्रमाणित करते हो कि प्रार्थीयागण श्री मूलाराम की जायंदा पुत्री हो तथा अगर प्रार्थीयागण के पास ऐसे कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य नही है तो यह मामला हिन्दु विधि के तहत उताराधिकारी की घोषणा का मामला है तथा ऐसे प्रकरणों का सुनने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधिश को प्राप्त हैं। इस प्रकार उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र कानूनीय रूप से पोषणीय नही हैं। तथा विधि के सिद्धान्तों के विपरित हैं।

मूलाराम की मृत्यु दिनांक 26.04.2002 को ग्राम पहाड़पुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिशदारान का नामान्तकरण कराया गया था जिसकी कोई अपील प्रार्थीयागण द्वारा नही की गयी हैं तथा यह वर्ष 2005 से पूर्व महिलाओं का पैतृक खातेदारी भूमि में कोई हक नही रहा ऐसी सुरत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा मय प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही हैं।

अन्य पदवार जबाब निम्न प्रकार है :—

अवतरण सं. 01 गलत होने से अस्वीकार हैं तथा जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण श्री मूलाराम की पुत्री कतई नही हैं अर्थात् प्रार्थीयागण का श्री मूलाराम से कोई रक्त संबंध नही हैं तथा हिन्दु विधि के तहत वह श्री मूलाराम की उत्तराधिकारी नही हैं तथा इनका उक्त आराजी में कोई नाम दर्ज नही हैं। इसलिये प्रार्थीयागण का उक्त दावा मय प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या संज्ञान एवं श्रवण योग्य नही हैं। तथा प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

अवतरण सं. 02 गलत होने से अस्वीकार हैं तथा जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण श्री मूलाराम की संताने नही हैं तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक हकुक नही हैं तथा वो कभी भी आराजी पर काबिज नही रही। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज अप्रार्थीगण तथा बेचान दस्तावेज के क्रेतागण का कब्जा काश्त हैं तथा प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की खातेदारी नही हैं तथा न ही मौके पर काबिज कास्त हैं इस प्रकार प्रार्थीयागण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही हैं। व उक्त आराजी के लिए अजनबी व्यक्ति (stranjor person) हैं। तथा उनकी उक्त दावा प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेन्डाई नही हैं। तथा उसके द्वारा अन्य तथ्य पूर्णतया गलत हैं ऐसी सूरत में प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र एवं अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 03 गलत होने से अस्वीकार हैं तथा जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण मूलाराक की पुत्री नही थी तथा अब श्री मूलाराम की मृत्यु दिनांक 26.04.02 के 15 वर्ष बाद प्रार्थीया द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है जो प्रलोभन वंश हमें खर्चे जैरबार करने एवं मानसिंक एवं शारिरीक रूप से प्रताड़ित कर ब्लैकमेल कर रूपये हड़पने हेतु पेश किया हैं जो पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित हैं। इनका इन जमीन से कोइ लेना देना नही हैं। प्रार्थीयागण महज भू माफियों के मार्फत स्थानीय लोगों एवं राजनैतिक दबाव डालकर अप्रार्थीगण को बैचान की हुई भूमि वापस हड़प करना चाहत हैं तथा इसलिये उक्त दबाव डालने के लिए यह दावा भी उन्होनें पेश किया हैं। तथा मूला के फौत होने पर अकेले राणा का बल्कि वदु पत्नि मूला का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया हैं। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। ,

अवतरण सं. 04 गलत होने से अस्वीकार हैं तथा जबाब इस कदर है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक नही हैं तथा वो कभी भी उक्त आराजी पर काबिज नही रही हैं। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में हम अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त हैं । इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही हैं। अब प्रार्थीयागण ने जो उक्त दावा पेश किया है वह दावा पूर्णतया द्वेष भावना से किया गया हैं।

26.12.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीयागण की अब नियत खराब हो गई हैं तथा अब स्थानीय भू–माफियों के चक्कर में आकर एवं लालच में आकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर हमारे पर दबाव बनाकर रूपये हड़पना चाहते हैं । प्रार्थीयागण का इस वादग्रस्त भूमि में कोई हक हकुक नही हैं । अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 05 गलत होने से अस्वीकार हैं तथा जबाब इस कदर है कि अप्रार्थी राणा को झुठे मुकदमें में प्राथीगण ने फंसाया था परन्तु सत्य की जीत हुई एवं राणा बरी हो गया परन्तु उक्त मुकदमा झगड़ने हेतु तथा अन्य खर्चो हेतु तथा मां के इलाज हेतु रूपयेा की अत्यन्त आवश्यकता हेतु राणाराम ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 124, 125, 126, 238, 349, 350, 352, 353/748, 684, 701, 702, 703, 704 जुमले रकबा 14.88 हैक्टर में से 2.425 हैक्टर तथा खसरा नं. 563, 564, 565, 566 जुमले रकबा 5.24 हैक्टर में से 0.2183 हैक्टर भूमि हमें रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 18.11.2015 के विक्रय कर दी तथा मौके पर हमारा कब्जा करवा दिया तब से लेकर आज दिन तक हमारा कब्जा मौके पर चला आ रहा हैं उक्त हमारे हक में निष्पादित बेचान दस्तावेज आज दिन तक प्रभावी हैं जिसे शून्य प्रभावी घोषित करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को हैं अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 06 गलत होने से अस्वीकार है तथा जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी नही है इसलिये भू विभाजन से उनका कोई संबंध नही हैं इसके अलावा कभी रेकाडेड खातेदार अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थीयागण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही हैं। तथा हमारा उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीयागण को हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई ऐलानिया धमकि देने का कोई प्रशन ही पैदा नही होता है क्योंकि प्रार्थीया का इस जमीन से कोई संबंध ही नही रहा हैं। तो उनको कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने का कोई ओचित्य नही हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही हैं। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं।

अवतरण सं. 07 गलत होने से अस्वीकार है तथा जबाब इस कदर है कि प्रार्थीयागण ने उक्त दावा में दिनांक 30.06.2010, 26.07.2010, 24.02.2011, 18.11.2015 को निष्पादित दस्तावेज को अवैध एवं शून्य प्रभावी करने का निवेदन किया है परन्तु इस प्रकार मात्र दिनांक लिखने मात्र से किसी विक्रय पत्र की पहचान नही होती हैं। विक्रय पत्र की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े करने से पूर्व उनकी प्रमाणित नकल प्राप्त कर उनके बही नम्बर , क्र.स., दस्तावेज नम्बर प्राप्त कर उनका उल्लेख कर उसे शून्य करार देने के आधारों का विवरण देना होता है परन्तु उक्त दावे एवं प्रार्थना पत्र में प्राथीयागण बिना किसी प्रमाणिकता के अंदाज से दावा प्रस्तुत कर रही हैं इस प्रकार के प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज हैं।

अवतरण सं. 08 गलत होने से अस्वीकार है तथा जबाब इस कदर है कि प्रार्थीगण मूलाराम की पुत्री नही थी तथा अब अब मूलाराम की मृत्यु दिनांक 26.04.02 के 15 वर्ष बाद प्रार्थीया द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत किया है जो प्रलोभन वश हमें खर्चे जेरबार करने एवं मानसिक एवं शारिरीक रूप से प्रताड़ित कर ब्लेकमेल कर रूपये हड़पने हेतु पेश किया हैं। जो पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित इनका इस जमीन से कोई लेना देना नही है । प्रार्थीयागण महज भू माफियों के मार्फत स्थानीय लोगों एवं राजनैतिक दबाव डालकर अप्रार्थीगण को बेचान की हुई भूमि वापस हड़प करना चाहते हैं तथा इसलिये उक्त दबाव डालने के लिए यह दावा भी उन्होनें पेश किया हैं। प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार नही हैं। इसलिये प्रार्थीयागण के हक में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन नही बनता हैं। तथा प्रार्थीयागण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा हमने उक्त आराजी प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की हैं तथा मौके पर हमारा कब्जा हैं। इसिलये प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति नही हो रही हैं। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीयागण के विरूद्ध हैं

अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

अभयपक्षकारों की बहस सुनी गई । अभिभाषक प्रार्थियान द्वारा वक्त बहस बताया गया कि विविदित आराजी पुश्तैनी है जिस पर प्रार्थियान का जन्म से हिस्सा निहित हैं। प्रार्थियान के पिता मूला के फौत होने के बाद पुश्तैनी आराजी में वारिसान पक्ष के नाम म्यूटेशन दर्ज करते वक्त प्रार्थियान को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

जिसे बाद में वदू बेवा मूला व राणा पुत्र मूला ने बेचान कर दिया हैं। आराजी मुतवाजा पर पूर्व में उमा बनाम छोगा मुकदमा सं. 78/2010 न्यायालय एवं सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी सांचोर में विचाराधीन था जिसके विचारण के दौरान ही उक्त आराजी का बेचान किया गया जो संपति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रभावहीन व शून्य हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान बहस में बताया कि प्रार्थियान का दावा एवं प्रार्थना पत्र हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम पर आधारित हैं। परन्तु प्रार्थियान मूला की जायंदा वारिशान हैं इसका कोई साक्ष्य ही पेश नही किया गया हैं। प्रार्थियान की तथाकथित मां वदू ने ही कथन किया है कि यह मरी बेटियां नही हैं। प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों से भी स्पष्ट नही हैं कि प्रार्थियान मूला की वारिसान हैं । प्रतिवादीगण का अधिकार विक्रय पत्र पर निर्भर है जो प्रथम दृष्ट्या voidable नही हैं। विक्रय पत्रों को Nul & Void घोषित करने का अधिकार सिविल कोर्ट को हैं। राजस्व न्यायालयों को ऐसे प्रकरणों में अधिकारिता ही नही हैं इसके अतिरिक्त मूला के फौत होने के उपरान्त वर्ष 2004 में नामान्तकरण दर्ज किया गया जबकि प्रार्थियान द्वारा बावजूद सूचना के म्यूटेशन की अपील न करने वर्ष 2011 में घोषणा का दावा पेश किया हैं। महिलाओं को वर्ष 2005 के उपरांत पैतृक संपति में अधिकार दिये गये हैं चूंकि प्रतिवादीगण सद्भावी क्रेता हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । अप्रार्थी 9,10,11,12 के अधिवक्ता पुरषोतम दवे ने बताया कि अप्रार्थी सं. 9,10,11,12 द्वारा दावा लाने के पूर्व आराजी मुतनाजा को क्रय किया गया है। अतः सद्भावी क्रेता ही प्रतिफल राशि अदा कर मौके पर काबिज हैं इसलिये विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीयान द्वारा निम्न नजीर अपने अधिकथनों के समर्थन में पेश की।

1. Danamma and Supan Surpur V/s. Amar & Ors.

Civil Appeal No. 188-189 of 2018

निर्णय दिनांक 01 Feb 2018 Supreme Court of India

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस अभिभाषकगण उभयपक्षकारान पर मनन किया गया।

प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार हैं :-

1. प्रथम दृष्टया प्रकरणः-

दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थियान मूल रूप से पुस्तैनी आराजी एवं मूला की जाइंदा वारिसान के बिन्दुओं पर आधारित हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से आराजी मुतनाजा का प्रथम दृष्ट्या पुश्तैनी होना जाहिर होता हैं । भूमि पर कब्जा विवादित बिन्दु है जिसका निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर दावे में किया जाना है । प्रकरण में मूला के फौत होने के बाद नामान्तरकरण फौतगी वर्ष 2004 में दर्ज किया जाना वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थियान द्वारा जाहिर किया गया। वक्त नामान्तरकरण क्या प्रक्रिया अपनाई गई और क्यों प्रार्थियान का नाम नामान्तरकरण दर्ज होने से वंचित रह गया इसके संबंध प्रार्थी पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य एवं तथ्य पेश नही किय गये हैं। नामान्तरकरण के 11 वर्ष बाद अचानक से प्रार्थियान को हक हकुकों से वंचित करने का सहसा इल्म हुआ। यह भी विचारणीय हैं।

अप्रार्थीगण के अनुसार उनके द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 30.06.2010, 24.07.2010, 24.02.2011 व 18.11.2015 को आराजी मुतनाजा में खातेदार वदू बेवा मूला व राणा पुत्र मूला से उनकी संपूर्ण खातेदारी की आराजी को उचित प्रतिफल की राशि का भुगतान कर क्रय किया हैं। 18.11.2015 के बेचान नामे में अतिरिक्त सभी बयनामें दावें के विचारण से पूर्व किये गये हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा के बदले उचित प्रतिफल एवं संपूर्ण राशि का भुगतान भी किया जा चुका हैं। इस आधार पर अप्रार्थीगण सद्भावी क्रेता हैं।

प्रार्थियान के प्रार्थना पत्र का दुसरा आधार मूला की जाइंदा पुत्री व उत्तराधिकारिणी होने पर आधारित हैं। प्रार्थना पत्र की मद सं. 02 में वर्णित हैं कि " मूला के हम प्रार्थियागण दो पुत्रियां व एक पुत्र अप्रार्थी सं. 01 राणा हैं ।

26.02.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

" अप्रार्थी सं. 01 राणा पुत्र मूला अप्रार्थी सं. 02 वदू बेवा मूला द्वारा प्रस्तुत जबाब के मद सं. 02 में वर्णित किया हैं कि " प्रार्थियागण मूला की कोई उत्तराधिकारिणी नही हैं। " इसी मद के अंत में वर्णित हैं कि " मूला के हम जायज वारिस अप्रार्थी सं. 01 व 02 हैं इसके अलावा उत्तराधिकारी नही हैं। "

जबाब अप्रार्थी सं. 09,10,11,12 की मद सं. 02 (पदवार जबाब) के अनुसार " प्रार्थीयागण मूलाराम की संतानें नही होने से उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक या कब्जा टाईटल नही हैं। " पदवार जबाब अप्रार्थी सं. 13 व 14 के पद के अनुसार " प्रार्थीयागण श्री मूलाराम की पुत्री कतई नही हैं अर्थात प्रार्थीयागण का श्री मूलाराम से कोई रक्त संबंध नही हैं तथा हिन्दु विधि के तहत व श्री मूलाराम के उत्तराधिकारी नही हैं। "

प्रार्थियान क्या मूला की जाइंदा पुत्रियां हैं अथवा नही अप्रार्थीगण 1 व 2 के प्रार्थियान मफीदेवी व तलसी को मूला की उत्तराधिकारी अस्वीकार करने की स्थिति में Burden of Proof प्रार्थियान पर हैं कि वो स्वयं को मूला की पुत्रियां सिद्ध करने के लिए उचित दस्तावेज यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया हो पेश करती परन्तु प्रार्थियान द्वारा इस बिन्दु के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत गोलासन का प्रमाण पत्र पेश किया हैं।

प्रस्तुत प्रमाण पत्र ना तो ग्राम पंचायत के लेटर हेड पर जारी किया गया हैं ओर ना ही उसके जावक आदि क्रमांक दर्ज हैं जिससे प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता ही संदिग्ध हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज अधिनियम 1994 में सरपंच को इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने की कोई अधिकारिता नही हैं। अतः तथाकथित प्रमाण पत्र अधिकारिता से परे जाकर जारी किया गया हैं।

प्रार्थीयान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की व मद सं. 05 में वर्णित किया हैं कि " एक माह पूर्व अप्रार्थी सं. 01 राणा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जो जेल में रहा हैं तथा पिछे उसकी मां वदू घर पर हैं जो अत्यन्त वृद्धावस्था की हैं। जिसके अभी उनका बेटा जेल में होने से सोचने समझने की शक्ति नही रही हैं। विवेक डगमगा गया हैं। " प्रार्थीया द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में भी कोई दस्तावेज इत्यादि पेश नही किया हैं जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वदू बेवा मूला का पूर्णतः स्वस्थ बताया हैं।

अप्रार्थीगण के सद्भावी क्रेता होने, अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा की सम्पूर्ण राशि अदा करने एवं प्रार्थियान द्वारा स्वयं की मूला की उत्तराधिकारिणी सिद्ध करने में असफल रहने से यह बिन्दु प्रार्थियान अपने हक में सिद्ध करने में असफल रही हैं।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति।**

तथ्यों एवं कथनों की पुनरावृति से बचने के लिए दोनों बिन्दुओं की व्याख्या एक साथ की जा रही हैं चूँकि प्रथन दृष्ट्या प्रकरण का बिन्दु प्रार्थियान अपने हक में सिद्ध करने में असफल रही हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थियान के हक में कयास नही आता हैं।

प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थियान स्वयं को मूला की उत्तराधिकारिणी सिद्ध नही कर सकी हैं, एवं विवादित आराजी का बेचान जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 30.06.2010, 24.07.2010, 24.02.2011, 18.11.2015 को किया जा चुका हैं। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा आराजी के मूल्य अनुसार सम्पूर्ण प्रतिफल राशि भुगतान किया जा चुका हैं। नामान्तरकरण वर्ष 2004 में दर्ज होने के उपरान्त वर्ष 2011 में घोषणात्मक वाद लाना। समस्त तथ्यों के अवलोकन से प्रार्थियान को किस प्रकार अपूर्णिय क्षति हुई है जिसे मूल्यों में नही आंका जा सका एवं सिद्ध करने में असफल रही है।

अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थियान अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहने से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,सांचौर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

26.02.2020

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.03.03 12:00:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: